"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2002—वैशाख 31, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (59).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94-विक-पांच (22), दिनांक 1-4-95 को निम्नानुसार संशोधित करती है :—

संशोधन

1. अधिसूचना में अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 8 के बाद निम्न अंत: स्थापित की जाएगी :—
   9. माल जबकि साईकिल या साईकिल पुर्जो के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाए. 0 प्रतिशत

2. उपरोक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (59), दिनांक 21-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 21st May 2002

NOTIFICATION

No.F-10-48/2002/CT/V (59).—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby amends the Notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 1-4-1995 as given below :—

AMENDMENT

1. In the Schedule to the Notification after entry No. 8, the following shall be inserted :—
   9. Goods when used as raw material in manufacture of cycle and cycle parts 0 percent

2. Above amendment shall be effective from the date of publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 21मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (60).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनूसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	साईकिल पुर्जे	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटाकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर निर्मित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (60).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-48/2002/वाक/पांच (60), दिनांक 21-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 21st May 2002

NOTIFICATION

No.F-10-48/2002/CT/V (60).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in Gazette to 31st March, 2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 1%.	When manufactured within the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.